(4)

उत्तर प्रदेश शासन
धर्मार्थ कार्य विभाग
संख्या– 94/57–2013–3(36)/2011
लखनऊ: दिनांक: 19 फरवरी, 2013

विज्ञप्ति/प्रकीर्ण

विषयः– श्री कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा से होकर लौटने वाले उ0 प्र0 राज्य के मूल निवासियों को राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के संबंध में।

उ0 प्र0 राज्य के मूल निवासियों, जो श्री कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा पूर्ण कर वापस आते हैं, को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– भारत सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा में शामिल होने वाले उ0 प्र0 के 50 यात्रियों की सीमा तक मूल निवासियों, जो वर्तमान में भी प्रदेश में निवास कर रहे हों, को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रू0 25 हजार की धनराशि, अनुदान स्वरूप दी जायेगी, जिसमें आवेदक द्वारा सक्षम स्तर से निर्गत निवास प्रमाण–पत्र अथवा पासपोर्ट की प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2– अनुदान वर्तमान लागू प्रकिया के अनुसार भारत सरकार द्वारा यात्रा में सम्मिलित होने वाले तथा यात्रा पूर्ण करने वाले यात्रियों को ही देय होगी।

3– अनुदान की धनराशि यात्रा की पूर्ण होने के उपरान्त प्रतिपूर्ति योग्य होगी।

4– जीवन काल में किसी यात्री को एक बार ही अनुदान दिया जायेगा।

5– अनुदान की सुविधा मामले में बजट प्राविधानित धनराशि तक ही यात्रियों को देय होगी तथा सीमित रहेगी।

6– यात्रा में सम्मिलित यात्रियों को यात्रा समाप्त होने के पश्चात तीन मास के अंदर विदेश मंत्रालय, भारत सरकार या चाइना सरकार द्वारा निर्गत बीजा/पासपोर्ट/प्रमाण–पत्र के आधार पर अनुदान स्वीकृत किया जायेगा।

7– यात्रियों को दी जाने वाली सहायता राशि की सम्पूर्ण धनराशि महानिदेशक पर्यटन के निर्वतन पर रखी जायेगी। धर्मार्थ कार्य विभाग द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की संवीक्षा कर पात्र यात्रियों की सूची महानिदेशक पर्यटन

को उपलब्ध करायी जायेगी, तत्पश्चात पात्र आवेदकों के नाम का पृथक–पृथक चेक महानिदेशक पर्यटन द्वारा धर्मार्थ कार्य विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। उल्लेखनीय है कि चेकों का वितरण धर्मार्थ कार्य विभाग द्वारा किया जायेगा।

8– किसी यात्री की मृत्यु होने की दशा में पत्नी/पति या आश्रित के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर अनुदान की प्रतिपूर्ति हेतु विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

9– आर्थिक सहायता हेतु आवेदन का प्रारूप निम्नवत है:–

कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

1– यात्री का नाम:–

2– पिता/पति का नाम:–

3– व्यवसाय:–

4– निवास स्थान का पूर्ण पता:–

(दूरभाष क्रमांक हो तो)

5– विदेश मंत्रालय द्वारा चयन का वर्ष– एवं बैच क्रमांक एवं पासपोर्ट की प्रतिलिपि:–

6– कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूर्ण करने का प्रमाण–पत्र

7– यात्रा पर हुए व्यय का विवरण:–

8– कैलाश मानसरोवर की क्या प्रथम यात्रा है (हां या नहीं)

9– पहचान पत्र:–

स्थान:–

दिनांक:–

आवेदक का हस्ताक्षर

नोट– आवेदन पत्र, सचिव/प्रमुख सचिव, धर्मार्थ कार्य उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को तीन माह की अवधि में प्रेषित करना होगा अभिलेखों की छायाप्रतियां किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित होना चाहिए, अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है।

2– उक्त पर आने वाला व्यय आय व्ययक के अनुदान संख्या–84 के लेखा शीर्षक–2250–अन्य सामाजिक सेवायें–101–धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए दान–04–कैलाश मानवरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को अनुदान –20–सहायक अनुदान सामान्य (गैरवेतन) के मद से वहन किया जाएगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या– ई–5–230/दस–2013 दिनांक: 19 फरवरी 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

नवनीत सहगल
प्रमुख सचिव

संख्या– 94 (1)/57–2013–3(36)/2011 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0 प्र0 शासन।
2– प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उ0 प्र0 शासन।
3– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0 प्र0 इलाहाबाद को इस आशय के साथ कि सरकारी गजट के साधारण अंक में तत्काल प्रकाशित कराते हुए विज्ञप्ति/प्रकीर्ण की 500 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4– महानिदेशक, पर्यटन उ0 प्र0 लखनऊ।
5– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, इलाहाबाद, उ0 प्र0।
6– समस्त मण्डलायुक्त/जिला अधिकारी, उ0 प्र0।
7– वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
8– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उ0 प्र0।
9– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5, उ0 प्र0 शासन।
10– निजी सचिव, मा0 मंत्री, धर्मार्थ कार्य, उ0 प्र0।
11– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन।
12– सामान्य प्रशासन अनुभाग।
13– विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(नवनीत सहगल)
प्रमुख सचिव

2

KAILSAH YATRA